उ.म.रे. के सा.एवं सहा. नियम की संशोधन पर्ची सं.-70, दिनांक- 06.07.2021 का राजभाषा में अनुवाद

(संदर्भ: (i) प्रयागराज मण्डल के मांडा रोड - जिगना स्टेशनों के बीच हॉट एक्सल की घटना, दिनांक- 10.04.2021.
(ii) वरि.मं.परि.प्रबं.(सम.)/प्रयागराज का पत्र सं.- टी/विविध संरक्षा/2021, दिनांक- 30.06.2021.
(iii) महाप्रबंधक/उमरे द्वारा 02.06.2021 और 09.06.2021 को आयोजित साप्ताहिक संरक्षा समीक्षा बैठक |
(iv) वरि.मं.परि.प्रबं./आगरा का पत्र सं.- परि./आगरा/एमपीसी/मुख्यालय संदर्भ/25, दिनांक- 10.06.2021.)

01. वर्तमान स.नि. 4.29/3(ii) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 70)

    स.नि. 4.29/3(ii) - अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर संकेत और संदेश मिलते ही दोनों की प्राप्ति की स्वीकृति देंगे और सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करके स्टेशन पर प्रभावित गाड़ी को रोकेंगे। जब तक प्रभावित गाड़ी अपने स्टेशन पर पूरी तरह से नहीं आ जाती, तब तक ट्रेनों को अपने स्टेशन से उस स्टेशन की ओर जाने के लिए, जिसने संकेत और संदेश भेजा था, लोको पायलट एवं गार्ड को परिस्थितियों के बारे में सूचित करेंगे और दिन के समय जब आगे दृश्यता साफ हो तो गाड़ी की गति 60 कि.मी. प्रतिघंटा से अधिक न रखने और रात/कोहरे के दौरान जब दृश्यता स्पष्ट न हो तो गाड़ी की गति 30 कि.मी. प्रतिघंटा से अधिक न रखने, साथ ही अन्य गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए तथा संचालन की दिशा एवं बगल वाली लाइन/लाइनों पर तेज नज़र रखते हुये सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने और किसी भी बाधा से पहले रुकनें के लिए सावधानता आदेश द्वारा चेतावनी देंगे । प्रभावित गाड़ी के गुजरने के बाद लोको पायलट सामान्य गति से आगे बढ़ेगा।

02. वर्तमान स.नि. 5.14/1(इ) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 70)

    स.नि. 5.14/1(इ) - जब भी आपातकालीन क्रॉसओवर कांटों के ऊपर मेन लाइन के आर-पार कोई शंटिंग की जानी हो, तो सभी संबंधित सम्मुख कांटों को भलीभांति सेट करके उपयुक्त लॉक लीवरों से लॉक अवश्य किया जाय। इसके अलावा, ऐसी शंटिंग के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा आपातकालीन क्रॉसओवर कांटे के सम्मुख कांटे को क्लैम्प/काटर बोल्ट और पैडलॉक अवश्य किया जाय। यदि कोई स्टेशन पैनल इण्टरलाकिंग/ रूट रिले इण्टरलाकिंग/ सालिड स्टेट इण्टरलाकिंग/ इलेक्ट्रानिक इण्टरलाकिंग से युक्त है और उपर्युक्त शंटिंग विशिष्ट स्थावर शंट सिगनलों द्वारा की जा रही है तो आपातकालीन क्रॉसओवर के सम्मुख कांटे को स्विच क्लैंप और पैडलॉक करना आवश्यक नहीं है।

03. वर्तमान स.नि. 6.07/4(xii) के नीचे एक नया नोट निम्नानुसार जोड़ा जाता है- (संशोधन पर्ची सं.- 70)

    नोट - साइट का निरीक्षण करने के बाद यदि कोई आसानी से दृष्टि गोचर दोष जैसे रेल फ्रैक्चर, वेल्ड फ्रैक्चर, क्षतिग्रस्त एसईजे, फिश प्लेट में खराबी, लगातार पेंड्रोल क्लिपों का गायब होना और अन्य असामान्यताएं आदि जैसी कोई कमी नहीं पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में इंजीनियरिंग अधिकारी (रेलपथ) को गाड़ी के सुरक्षित संचालन के लिए ट्रैक की उपयुक्तता को प्रमाणित करने से पूर्व या कोई गति प्रतिबंध लगाने से पूर्व, पूर्ण ब्लॉक पद्धति में, पिछले ब्लॉक स्टेशन से ट्रेन/ टावर वैगन/ लाइट इंजन द्वारा या स्वचल ब्लॉक पद्धति में, अंतिम स्वचल ब्लॉक सिगनलिंग खण्ड में उपलब्ध गाड़ी द्वारा पायदान निरीक्षण करना चाहिए। एसएसई/जेई (रेलपथ) पहली उपलब्ध ट्रेन द्वारा सेक्शन का पायदान निरीक्षण करेंगे और पायदान निरीक्षण के दौरान यह ध्यान रखेंगे कि पायदान निरीक्षण वाली गाड़ी की गति दिन में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक तथा रात के दौरान या खराब दृश्यता की स्थिति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक न हो और फुटप्लेट के लिए इस

गति प्रतिबंध का अनुपालन लोको पायलट / गार्ड द्वारा सूचित प्रभावित स्थान से 02 किमी पहले से और प्रभावित स्थान से 500 मीटर बाद तक किया जाएगा अर्थात पूर्ण ब्लॉक सेक्शन में, 2.5 किमी की दूरी प्रतिबंधित गति से और शेष सेक्शन की दूरी सामान्य गति से पूरी की जाएगी। फुटप्लेट के बाद वह गाड़ियों का संरक्षित संचालन उपयुक्त गति प्रतिबंध के साथ, यदि आवश्यक हो, प्रमाणित करेगा ।

04. वर्तमान स.नि. 14.04/1 को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 70)

स.नि. 14.04/1 - <u>सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करना</u> - प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान समूह 'ग' कर्मचारियों के मामले में और प्रभारी अनुदेशक, मंडल यातायात प्रशिक्षण संस्थान समूह 'घ' कर्मचारियों के मामले में, परीक्षा लेने, सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान करने और नवीनीकरण करने के लिए प्राधिकृत हैं, जिसकी वैधता केवल तीन साल की अवधि के लिए है।

तथापि, असाधारण विशेष परिस्थितियों में, प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, चंदौसी द्वारा समूह 'ग' को जारी योग्यता प्रमाण पत्र तथा प्रभारी अनुदेशक, मंडल यातायात प्रशिक्षण संस्थान द्वारा समूह 'घ' परिवहन कर्मचारियों को जारी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता स्थानीय स्तर पर, ऐसे अधिकारी द्वारा बढ़ाई जा सकती है जो सहायक परिचालन प्रबन्धक/ सहायक यातायात प्रबन्धक के पद से नीचे का न हो। ऐसा विस्तार एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और किसी भी स्थिति में वैधता को एक बार से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

सं.- याता/सामा./संशोधन पर्ची /22/20
दिनांक : 24.11.2021.

(बिप्लव कुमार)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख कार्यकारी निदेशक (संरक्षा)/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली ।
2. सचिव महाप्रबंधक - महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ ।
3. प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, प्रमुख मुख्य इंजी., प्रमुख मुख्य बिजली इंजी., प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजी., प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजी./उत्तर मध्य रेलवे/प्रयागराज ।
4. प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक- उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे ।
5. मंडल रेल प्रबंधक, प्रयागराज/झांसी/आगरा ।
6. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, प्रयागराज/झांसी/आगरा ।
7. प्राचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/चंदौसी/उत्तर रेलवे ।
8. प्राचार्य, बिजली प्रशिक्षण केंद्र/कानपुर/उत्तर मध्य रेलवे ।

(बिप्लव कुमार)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक